



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 ज्येष्ठ, 1943 (श०)

संख्या- 291 राँची, शनिवार,

29 मई, 2021 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ।

अधिसूचना

25 मई, 2021

संख्या-01/नीति-05-03/2020-912-- झारखण्ड राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु घोषित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों के सीमित संचालन की अवधि को दृष्टिपथ रखते हुए “झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018” के नियम 8, 24 एवं 25 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के माह मई, 2021 में निर्धारित उत्पाद राजस्व लक्ष्य को संशोधित करते हुए उस माह के मदिरा के वास्तविक उठाव अथवा उस माह के निर्धारित उत्पाद राजस्व लक्ष्य का 50% (जो दोनों में अधिकतम हो) के अनुरूप निर्धारित किया जाता है अर्थात्, अनुज्ञाधारियों से JSBCL के गोदाम से उस माह के मदिरा के वास्तविक उठाव अथवा निर्धारित उत्पाद राजस्व लक्ष्य का 50% (जो दोनों में अधिकतम हो) के अनुरूप ही उत्पाद परिवहन कर (Excise Transport Duty) की वसूली की जायेगी ।

2. राजस्व लक्ष्य के पुनर्निर्धारण संबंधी उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

3. राजस्वहित में उपरोक्त प्रस्ताव विधि विभाग की विधिक्षा एवं मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में मुख्यमंत्री, झारखंड के अनुमोदनोपरांत निर्गत है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सचिव-सह-आयुक्त उत्पाद,

झारखंड, राँची।
